प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.06.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा बन्द मकानो का ताला तोडकर चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 बैटरे बडे, 01 इन्वर्टर , 03 चिराग व अन्य सामान (पीली धातु), टोटी व घरेलू बर्तन व घटना में प्रयुक्त 01 ई- रिक्शा बरामद ।

दिनांक 29.04.25 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री अमित शुक्ला पुत्र श्री बृह्मानन्द शुक्ला निवासी 14/478 वसुन्धरा, थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर का ताला तोडकर घर मे रखी नगदी व ज्वैलरी चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर धारा 331(3),305 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 20.05.2025 को वादी निशांत कुमार सिंह पुत्र श्री अमरनाथ सिंह निवासी फ्लैट नं0- 901 कैलाश टावर द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला तौड़कर पानी की टोटियॉ और 01 घरेलू गैस सिलेंडर चोरी हो गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर धारा 305 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 20.06.2025 को वादी जीवन पुत्र देवी निवासी म0नं0 1233 सेक्टर 5 वसुंधरा थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मकान मालिक नितीन श्रीवास्तव के घर में घुसकर ईन्वर्टर/बैटरी, चिराग आदि सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध थाना इन्दिरापुरम पर धारा 305 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण तथा गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 25.06.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. मेहताब पुत्र मो0 आलम निवासी ग्राम मांडर थाना मीरकाई जनपद खगरिया बिहार हाल निवासी सरकारी सुलभ शौचालय के पास गबरु के मकान मे किराये पर महाराजपुर थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष, 2. अजहर पुत्र ईशराफिल निवासी ग्राम इकडारा जिला बेगुसराय हाल निवासी सरकारी स्कूल के पास गुल्लु के मकान मे किराये पर महाराजपुर थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को रैपिड मैट्रो स्टेशन के पास सैक्टर 8 वसुन्धरा के खाली पडे मैदान के पास थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी 02 बैटरे बडे , 01 इन्वर्टर , 03 चिराग व अन्य सामान (पीली धातु), टोटी व घरेलू बर्तन व घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्शा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त मेहताब व अजहर के विरुद्ध बीएनएस की धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मेहताब व अजहर से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनो अभियुक्त मेहताब व अजहर ने मिलकर दिनांक 20.06.2025 को नितिन श्रीवास्तव के घर से चिराग व ईन्वर्टर/बैटरी चोरी किया था। दिनांक 20.05.2025 को वादी दोनो अभियुक्त मेहताब व अजहर ने मिलकर वादी निशांत कुमार के फ्लैट से पानी की टोटियॉ और 01घरेलू गैस सिलेंडर चोरी किया था। दिनांक 29.04.2025 को दोनो अभियुक्तों ने मिलकर वादी अमित शुक्ला के घर से नगदी व ज्वैलरी चोरी की थी। चोरी किये गये सामान में से

कुछ सामान दोनों अभियुक्तों ने मिलकर आनन्द विहार रेलवे स्टेशन के पास राह चलते व्यक्तियों को बेच दिया था। दिनांक 25.06.2025 की रात्रि को शेष बचे हुए सामान को बेचने की फिराक में रैपिड मैट्रो स्टेशन के पास सैक्टर 8 वसुन्धरा के खाली पडे मैदान के पास खड़े थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. मेहताब पुत्र मौ0 आलम निवासी ग्राम मांडर थाना मीरकाई जनपद खगरिया बिहार हाल निवासी सरकारी सुलभ शौचालय के पास गबरु के मकान मे किराये पर महाराजपुर थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।
2. अजहर पुत्र ईशराफिल निवासी ग्राम इकडारा जिला बेगुसराय हाल निवासी सरकारी स्कूल के पास गुल्लु के मकान मे किराये पर महाराजपुर थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- 02 बैटरे बडे, 01 इन्वर्टर , 03 चिराग व अन्य सामान (पीली धातु), टोटी व घरेलू बर्तन व घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्शा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त मेहताब व अजहर के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मारपीट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 02 बाल अपचारी संरक्षण में।

दिनांक 23.06.2025 को श्री सागर पुत्र यादगीर निवासी विश्वकर्मा बस्ती सीकरी फाटक मोदीनगर द्वारा मौखिक सूचना दी गयी थी कि वह अपनी टेलर व गारमैन्ट्स कलैक्शन की दुकान के बाहर प्रथम तल पर झीने के पास खडा हुआ था तभी 8-10 लडको ने आकर उसके साथ मारपीट की तथा उसके हाथ से 3.5 लाख रु से भरे थैले को छीन कर ले गये। उक्त सूचना पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा घटना की जांच पडताल मौके पर जाकर की गयी तथा झीने मे लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि 8-10 लडके आते हुये तथा मारपीट करके खाली हाथ जाते हुये दिखायी दे रहे है। मामला केवल मारपीट का पाया गया , पैसे छीन कर ले जाने वाली बात असत्य पायी गयी। दोनो पक्ष आपस मे पूर्व से परिचित है। यह भी जानकारी हुयी कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व आवेदक सागर गोस्वामी व उसके साथियो द्वारा प्रतिपक्षी रवि आदि के साथ मारपीट की घटना कारित की गयी थी।

आज दिनांक 26.06.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री सागर पुत्र यादगीर द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 23.06.25 को उसके साथ रवि पुत्र राकेश निवासी तिबडा रोड थाना मोदीनगर एंव आयान पुत्र आसिफ आदि आदि अन्य लडको द्वारा उसकी दुकान के सामने आकर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देते हुये गाली गलौज करना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर धारा 191(2) , 115(2) व 351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त अभियोग मे वांछित 02 अभियुक्त 1. रवि पुत्र राकेश निवासी तिबडा रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष 2. अयान पुत्र आसिफ निवासी गुरुद्वारा रोड मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारियो को संरक्षण मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि करीब 1.5 साल पहले हमारा आपस मे झगडा हो गया था जिसमे वादी के द्वारा अपने कई दोस्तो को बुलाकर हमारे साथ मारपीट की गयी थी जिसका बदला लेने के लिये हम मौके की तलाश मे थे तथा दिनांक 23.06.25 को हमने वादी सागर को अकेला पाकर उसपर हमला कर दिया था व उसके साथ मारपीट व गाली गलौज करके वहा से चले गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. रवि पुत्र राकेश निवासी तिबडा रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष
2. अयान पुत्र आसिफ निवासी गुरुद्वारा रोड मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष
3. 02 बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

- अभियुक्तगण व बाल अपचारियो के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना मोदीनगर पर एक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार व संरक्षण मे लेने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

आज दिनांक 26.06.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त मुकम्मिल पुत्र रहीस निवासी ग्राम सौंदा थाना निवाड़ी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को वीनस ग्राउंट के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चाकू का भय दिखाकर राह चलते लोगो से लूटपाट/चोरी करने की फिराक में घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुकम्मिल पुत्र रहीस निवासी ग्राम सौंदा थाना निवाड़ी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में आयुध अधिनियम का एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।